FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0211 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 23/09/2024 19:08 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 21/09/2024 **Date To (दिनांक तक):** 22/09/2024
   Time Period (समय अवधि): पहर 4 **Time From (समय से):** 16:30 बजे **Time To (समय तक):** 11:01 बजे
   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/09/2024 **Time (समय):** 17:00 बजे
   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 23/09/2024 19:08:51 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 40 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
   (b) **Address(पता):** POLICE AYUKTALY JODHPUR, POLICE THANA LUNI
   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** JASWANT MINDAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** ANDARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1997 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	LOLAWAS, KUDI BHAGATASANI, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	LOLAWAS, KUDI BHAGATASANI, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SHMBHU SINGH		पिता:VIJAY SINGH	1. KETU KALLA SETARAWA,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
2	MUNNARAM		पिता:JORARAM	1. REGARO KA MOHLLA,GRAM MANJHI,DEGANA,NAGAUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर विषयः रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मैं प्रार्थी जसवन्त मिडंल पुत्र श्री अणदाराम जी जाति मेघवाल उम्र 27 वर्श निवासी लोलावास हूं माह जून 2024 में मेरे पिताजी व बड़े पापा के लड़के के साथ मारपीट हुई थी जिसके बारे में मेने लुणी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था जिसकी एफ आई आर संख्या 158/2024 दिनांक 29.6.24 है उक्त मामले में अनुसंधान श्री शम्भुसिह हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना लुणी द्वारा किया जा रहा है जो मामला में आरोपियो के विरूद्ध कार्यवाही करने के ऐवज में दस हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है और गाली-गलौज करता है रूपये नहीं देने पर कोई कार्यवाही नहीं करने की धमकी दे रहा है शम्भुसिह कुछ दिन पूर्व मेरे घर आकर पिताजी से तीन हजार रूपये ले चुका है मैं मेरे जायज काम के लिए शम्भुसिह को रूपये नहीं देना चाहता हु मेरी शम्भुसिह हैड कानिस्टेबल से कोई पुरानी रंजिष या विवाद नहीं है और ना ही कोई पुराना लेन देन है बकाया है अतः आवश्यक कानुनी कार्यवाही करावे। मैं मेरे द्वारा दर्ज करवाये गये प्रथम सूचना संख्या 158/2024 की फोटो प्रति व आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश कर रहा हूं। दिनांक 21.09.2024 भवदीय एसडी/ नाम जसवंत मिंडल श्री अणदाराम उम्र 27 वर्ष निवासी - लोलावास तहसील कुड़ी भगतासनी जोधपुर ग्रामीण मो.- [redacted] कार्यवाही पुलिस उपरोक्त हस्तलिखित रिपोर्ट श्री जसवंत मिंडल पुत्र श्री अणदाराम जाति मेघवाल निवासी लोलावास तहसील कुडी भगतासनी जोधपुर नें आज दिनांक 21/09/24 कों समय 04.30 पी.एम. पर कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर मे उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश की। मजमून रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में पाया जाने पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। एसडी एसडी एसडी एसडी चक्रवर्ती सिंह राठौड 21.09.24 नवनीत सिंह फिरोज खान सुनीता कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर एसडी जसवन्त मिडंल कार्यवाही पुलिस दिनांक 21.09.2024 समय 04.30 पी.एम. इस समय परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल पुत्र श्री अणदाराम जाति मेघवाल उम्र 27 वर्श निवासी लोलावास जोधपुर ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रश्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर में उपस्थित होकर एक हस्त लिखित रिपोर्ट मन् चक्रवर्ती सिंह राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रश्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर के समक्ष इस आ शय की पेश की कि "मैं प्रार्थी जसवन्त मिडंल पुत्र श्री अणदाराम जी जाति मेघवाल उम्र 27 वर्श निवासी लोलावास हूं माह जून 2024 में मेरे पिताजी व बड़े पापा के लड़के के साथ मारपीट हुई थी जिसके बारे में मेने लुणी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था जिसकी एफ आई आर संख्या 158/2024 दिनांक 29.6.24 है उक्त मामले में अनुसंधान श्री शम्भुसिंह हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना लुणी द्वारा किया जा रहा है जो मामला में आरोपियो के विरूद्ध कार्यवाही करने के ऐवज में दस हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है और गाली-गलौज करता है रूपये नहीं देने पर कोई कार्यवाही नहीं करने की धमकी दे रहा है श्री शम्भु सिंह कुछ दिन पूर्व मेरे घर आकर पिताजी से तीन हजार रूपये ले चुका है मैं मेरे जायज काम के लिए शम्भु सिंह को रूपये नहीं देना चाहता हु मेरी शम्भु सिंह हैड कानिस्टेबल से कोई पुरानी रंजिष या विवाद नहीं है और ना ही कोई पुराना लेन देन है बकाया है अतः आवश्यक कानुनी कार्यवाही करावे। मैं मेरे द्वारा दर्ज करवाये गये प्रथम सूचना संख्या 158/2024 की फोटो प्रति व आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश कर रहा हूं।" मजीद दरियाफत् पर परिवादी ने बताया कि उक्त हस्त लिखित रिपोर्ट मैंने स्वयं लिखी है तथा उक्त रिपोर्ट में अंकित समस्त तथ्य सही होना बताया। हस्त लिखित रिपोर्ट व मजीद दरियाफती से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोंधित 2018) का होना पाया जाने पर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से कार्यालय के श्री छैलाराम कानि. नं. 46 को कार्यालय कक्ष में तलब कर उसका परिचय परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल से करवाया गया। दोनों के मोबाईल नम्बर एक दुसरे को आदान प्रदान कराये गये। कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वॉयस रिकार्डर निकाल कर उसको चालु करने, बन्द करने की प्रक्रिया परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल व श्री छैलाराम कानि. नं. 46 को समझायी गई। वक्त 05.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर डिजीटल वॉयस रिकार्डर आवश्यक हिदायत के साथ कार्यालय के श्री छैलाराम कानि. नं. 46 को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवानें हेतु परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल के साथ पुलिस थाना लुणी, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के लिए रवाना किया गया

। वक्त 07.10 पी.एम. पर श्री छैलाराम कानि. नं. 46 ने अपने मोबाईल नं [redacted] से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नं. [redacted] पर कॉल कर बताया कि परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल के कहेनुसार रिश्वत राशि का मांग सत्यापन हो गया है जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री छैलाराम कानि. नं. 46 को परिवादी को साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय जोधपुर में उपस्थित होने के निर्देश दिये। वक्त 08.30 पी.एम. पर श्री छैलाराम कानि. नं. 46 व परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल रिश्वत राशि मांग सत्यापन में गये हुए बाद सत्यापन कार्यालय में उपस्थित आये तथा श्री छैलाराम कानि. नं. 46 ने स्वीच ऑफ शुदा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल एवं संदिग्ध श्री षम्भुसिंह हैड कानि. व श्री मुन्नाराम कानि. के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता हो गई जो इस कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है साथ ही परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं व श्री छैलाराम कानि. ब्यूरो चौकी से श्री छैलाराम कानि. की मोटर साईकिल से रवाना होकर पुलिस थाना लुणी जिला जोधपुर से थोड़ा पहले वक्त 06.40 पी.एम. पर पहुंचे। जहां पर श्री छैलाराम कानि. ने मेरे से मेरे मोबाईल नं. [redacted] से श्री शम्भुसिंह हैड कानि. के मोबाईल नं. [redacted] पर मेरे मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर श्री छैलाराम कानि. द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर कॉल करवाया तों श्री शम्भुसिंह हैड कानि. ने मेरे को थाने में आकर श्री मुन्नाराम कानि. से मिलने हेतु कहा। ताबाद श्री छैलाराम कानि. ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर का स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। ताबाद वक्त 06.51 पी.एम. पर श्री छैलाराम कानि. ने मुझे आवश्यक हिदायत देकर अपने साथ लाये डिजीटल वॉयस रिकार्डर का स्वीच ऑन कर मुझे सुपुर्द कर श्री मुन्नाराम कानि. से वार्ता करने हेतु श्री छैलाराम ने अपनी मोटर साईकिल से ही मेरे को रवाना किया। मैं वहां से रवाना होकर पुलिस थाना लुणी पहुंचा। पुलिस थाने में श्री शम्भुसिंह हैड कानि. मुझको लेकर श्री मुन्नाराम कानि. जिस कमरे में बैठा था उस कमरें में लेकर गया। दौराने वार्ता श्री शम्भुसिंह हैड कानि. ने कहा की तेरी फाईल तैयार पड़ी है, ब्रिफ के पैसे देने पड़ते है, मुझे न तो रूपये दिये न बात कर रहे हो। वार्ता दौरान श्री मुन्नाराम कानि. ने कहा कि मेडीकल का जो भी खर्चा है लेकर आना और कहा कि ताली एक हाथ नहीं बजती है दोनो हाथ से बजती है। वार्ता के दौरान श्री शम्भुसिंह हैड कानि. ने कहा कि फाईल तैयार है तेरे पास 4000-5000 रूपये है क्या श्री शम्भुसिंह हैड कानि. व श्री मुन्नाराम कानि. पुलिस थाना लुणी मेरे द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमे में चालान पेश करने के लिये 5000/-रूपये की रिश्वत राशि की मांग की। उक्त राशि 5000/-रूपये लेकर कल दिनांक 22.09.2024 को जल्दी बुलाया है। ताबाद में थाने से रवाना होकर श्री छैलाराम कानि. को कॉल कर उनके पास गया। श्री छैलाराम कानि. ने मेरे डिजीटल वॉयस रिकार्डर लेकर उसका स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा मैंने श्री छैलाराम कानि. को बताया कि मेरे व श्री शम्भुसिंह हैड कानि. व श्री मुन्नाराम कानि. के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता गई। श्री छैलाराम कानि. नं. 46 द्वारा आपको कॉल करने पर आपके निर्देशानुसार वहां से रवाना होक ब्यूरो चौकी आये है। जिस पर पास ही खड़े श्री छैलाराम कानि. नं. 46 ने भी परिवादी के कथनों की ताईद की। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर उक्त रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल के कथनों की ताईद होकर रिश्वति राशि मांग की पुष्टि हुई। उक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लिया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपनी अभिरक्षा सुरक्षित में रखा तथा परिवादी को आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वति राशि राशि 5000/-रूपये की व्यवस्था कर कल दिनांक 22.09.2024 को प्रातः 07.30 ए.एम. पर लेकर आने एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखस्त किया। वक्त 09.33 पी.एम. पर अग्रिम गोपनीय कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने पर दो स्वतन्त्र. गवाह भिजवाने हेतु एक पत्र तहसीलदार जोधपुर के नाम जारी कर जरिये वाट्सऐप प्रेषित किया गया एवं स्वतन्त्र गवाह को दिनांक 22.09.2024 प्रातः 08.00 बजे ब्यूरो कार्यालय जोधपुर में भिजवाने हेतु तहसीलदार जोधपुर से जरिये दूरभाश वार्ता भी की। दिनांक 22.09.2024 वक्त 07.30 ए.एम. पर परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल उपस्थित आया तथा साथ ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि श्री शम्भु सिंह हैड को रिश्वति राशि में दी जाने वाली रिश्वति राशि 5000/-रूपये की व्यवस्था कर मैं साथ लेकर आया हूं। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो की उक्त गोपनीय कार्यवाही हेतु श्रीमती सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। श्रीमती सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस का परिचय कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल से करवाया तथा परिवादी का प्रार्थना पत्र मय आधार कार्ड मय पुलिस थाना लुणी दर्ज प्रकरण संख्या 158/2024 की फोटो प्रति, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 21.09.2024 को परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल के मोबाईल नं. [redacted] से आरोपी श्री शम्भु सिंह हैड कानि. के मोबाईल नं. [redacted] पर हुई वार्ता एवं परिवादी जसवन्त मिन्डल व आरोपी श्री शम्भु सिंह हैड कानि. व सहआरोपी श्री मुन्नाराम कानि. पुलिस थाना लुणी, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता रिकॉर्ड है को सुपर्द किया गया। वक्त 07.40 ए.एम. पर मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल की हस्त लिखित रिपोर्ट मय संलग्न आधार कार्ड मय पुलिस थाना लुणी में दर्ज प्रकरण संख्या 158/2024 की फोटो प्रति, कार्यालय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 21.09.2024 को परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल के मोबाईल नं. [redacted] से आरोपी श्री

शम्भु सिंह हैड कानि. के मोबाईल नं. [redacted] पर हुई वार्ता एवं परिवादी जसवन्त मिन्डल व आरोपी श्री शम्भु सिंह हैड कानि. व सहआरोपी श्री मुन्नाराम कानि. पुलिस थाना लुणी, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता रिकॉर्ड है को अपने साथ लेकर अपने कार्यलय कक्ष में आई व परिवादी के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया तो परिवादी द्वारा पुलिस थाना लुणी में अपने पिता व बड़े पापा के लड़के के साथ हुई मारपीट का मुकदमा नं. 158/2024 दिनांक 29.06.2024 दर्ज करवाया था। जिसका अनुसंधान श्री शम्भु सिंह हैड कानि. द्वारा किया जा रहा है। श्री शम्भु सिंह हैड कानि. द्वारा आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की ऐवज में परिवादी से 10000/-रूपये शम्भु सिंह मांगने की रिपोर्ट दी। परिवादी से रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के बारे में दरियाफती की तो परिवादी ने लिखित रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का सही होना बताया। उक्त रिपोर्ट पर दिनांक 21.09.2024 को परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल के मोबाईल नं. [redacted] से आरोपी श्री शम्भु सिंह हैड कानि. के मोबाईल नं. [redacted] पर हुई वार्ता को सुना गयो आरोपी श्री शम्भु सिंह द्वारा परिवादी को थाने में बुलाया व ताबाद दिनांक 21.09.2024 को ही परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल व आरोपी श्री शम्भु सिंह हैड कानि. व सह आरोपी श्री मुन्नाराम कानि. के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रिकार्ड को वार्ता है सुना गया तो दौराने वार्ता श्री शम्भुसिंह हैड कानि. ने परिवादी को कहा की तेरी फाईल तैयार पड़ी है, ब्रिफ के पैसे देने पड़ते है, मुझे न तो रूपये दिये न बात कर रहे हो। वार्ता दौरान ही श्री मुन्नाराम कानि. ने कहता कि मेडीकल का जो भी खर्चा है लेकर आना और कहता कि ताली एक हाथ नहीं बजती है दोनो हाथ से बजती है। वार्ता के दौरान श्री शम्भुसिंह हैड कानि. ने परिवादी से कहता कि फाईल तैयार है तेरे पास 4000-5000 रूपये है क्या श्री शम्भुसिंह हैड कानि. व श्री मुन्नाराम कानि. पुलिस थाना लुणी मेरे द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमे में चालान पेश करने के लिये 5000/-रूपये की रिश्वत राशि परिवादी से मांग करने की पुष्टि हुई। उक्त रिश्वत राशि लेकर आज दिनांक को बुलाया। परिवादी को मन् निरीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री शम्भु सिंह हैड कानि. को रिश्वति राशि में दी जाने वाली रिश्वति राशि 5000/-रूपये के बारे में पुछा तो परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री शम्भु सिंह हैड कानि. को रिष्वत में दी जानी वाली राषि 5000/-रूपये की व्यवस्था कर साथ लेकर आया हूं। हस्त लिखित रिपोर्ट व रिकॉर्ड वार्ता से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का होने से गवाह के उपस्थित आने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करनें का निर्णय लिया गया। वक्त 08.10 ए.एम. पर तहसीलदार कार्यालय जोधपुर से दो कार्मिक कार्यालय हाजा में उपस्थित आये तथा मन् निरीक्षक पुलिस से सम्पर्क किया। उपस्थित आये कार्मिकों को मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो उन्होने बारी-बारी से अपना परिचय श्री फिरोज खान पुत्र श्री मोहम्मद रियाज जाति मुसलमान उम्र 43 वर्ष पेशा नौकरी निवासी रहमत मंजिल, व्यापारियों का मौहल्ला राखी हाउस के पास पुलिस थाना सदर बाजार जोधपुर हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय तहसीलदार जोधपुर शहर मोबाईल नं. [redacted] व श्री नवनीतसिंह पुत्र श्री दिनेशसिंह जाति राजपुत उम्र 21 वर्ष पेशा नौकरी निवासी 31 नेहरू कॉलोनी डिफेन्स लैब, पुलिस थाना एयरफोर्स जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय तहसीलदार जोधपुर मोबाईल नं. [redacted] के रूप में दिया। हर दोनो उपस्थित कार्मिकों एवं उपस्थित परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल का आपस में परस्पर परिचय करवाकर दोनो कार्मिको को बुलाने के मन्तव्य से अवगत कराकर परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल द्वारा दिनांक 21.09.2024 को प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करवाया गया एवं परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल व आरोपी श्री शम्भु सिंह हैड कानि. व सह आरोपी श्री मुन्नाराम कानि. के मध्य दिनांक 21.09.2024 को हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है के मुख्य अंश को सुनाया गया। दोनो कार्मिकों द्वारा परिवादी की रिपोर्ट पढकर परिवादी से तसली से पुछताछ कर एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन की रिकार्ड वार्ता के मुख्य अंष सुनकर ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की मौखिक सहमति दी। उक्त रिकार्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट बनाने का निर्णय लिया। जिस पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों पर किये गये। वक्त 08.30 ए.एम. पर परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री शम्भु सिंह हैड कानि. को दी जाने वाली रिश्वत राशि प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। जिस पर परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल ने भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट कुल राशि 5000/-रूपये मन् निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किये उक्त नोटों के नंबर फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी रिश्वति राशि में अंकित कर कार्यालय के मालखाना से श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मन् निरीक्षक पुलिस के कार्यालय कक्ष में मंगवाई गई तथा मेरी कार्यालय टेबल पर पुराना अखबार बिछवाया जाकर रूबरू मौतबिरान परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई राशि 5000/-रूपये के नोटो पर श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक से हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल की जामा तलाशी गवाह श्री फिरोज खान से लिवाई जाकर उसके पास कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल का मोबाईल उनके पास रहने दिया गया। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 5000/-रूपये जो आरोपी श्री शम्भु सिंह हैड कानि. पुलिस थाना लुणी, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर को दी जानी है, की राषि के नोटों को श्री गणेशाराम पंवार वरिष्ठ सहायक से उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त नोटों को परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल के पहनी हुई जीन्स पेन्ट के दाहिनी जेब में गवाहान के समक्ष श्री गणेश पंवार वरिष्ठ सहायक से रखवाये जाकर परिवादी श्री जसवन्त मिडल को हिदायत दी गई कि इस रिष्वती राषि को रास्ते में नहीं

छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दुर से हाथ जोड़कर नमस्कार करें साथ ही परिवादी को यह भी हिदायत दी गई की आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने पर कहा रखता उसका ध्यान रखे, साथ यह भी हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने पर ट ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेरकर या मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर के मोबाईल नं. [redacted] पर रिश्वती राशि आदान-प्रदान होने की सूचना मिस कॉल या कॉल करके करें। तत्पश्चात एक साफ प्लास्टिक के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान तथा परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री गणेश पंवार वरिष्ठ सहायक के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईष की गई कि आरोपी द्वारा रिष्वती राषि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर पाउडर लगाने वालें श्री गणेश पंवार वरिष्ठ सहायक से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर गिलास को नष्ट करवाया जाकर तथा जिस पुराने अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वालें श्री गणेश पंवार वरिष्ठ सहायक से कार्यालय हाजा के मालखाना प्रभारी को देकर मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। इसके पश्चात् परिवादी को छोडकर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो ट्रेप दल में ब्यूरों स्टॉफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र एवं मन् पुलिस निरीक्षक सुनिता कुमारी के पास विभागीय परिचय पत्र व आकस्मिक खर्च के 2000/- रूपये रहने दिये गये, इसके अलावा किसी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री गणेशराम पंवार वरिष्ठ सहायक को हिदायत देकर कार्यालय में ही उपस्थित रहने हेतु छोड़ा गया। उक्त समस्त कार्यवाही फर्द पेषकषी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर सम्बंधितान के हस्ताक्षार करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। वक्त 09.15 ए.एम. पर मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस, श्री चक्रवर्ती सिंह राठौड़ अतिरिक्त पुलिस, श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री फिरोज खान एवं श्री नवनीतसिंह परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल मय ब्यूरो जाब्ता श्री भंवरलाल हैड कानि. नं. 100, श्री स्वरूपचन्द हैड कानि. नं. 29, श्री भूरसिंह हैड कानि.नं. 91, श्री छैलाराम कानि. नं. 46, श्री भीमसिंह कानि. नं. 446, श्रीमती सीता सिंवर महिला कानि. नं. 172, श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक मय दो निजी वाहन मय चालक श्री प्रेमसिंह कानि. 535 एवं तीन निजी मोटरसाईकिल के ब्यूरो के ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय को डिजीटल वॉयस रिकार्डर, परिवादी के प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित पत्रावली सहित ब्यूरो चौकी जोधपुर पुलिस थाना लुणी आयुक्तालय जोधपुर की तरफ रवाना हुए। वक्त 10.40 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय श्री चक्रवर्तीसिंह राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री मनीश वैष्णव निरीक्षक पुलिस, परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो के स्टॉफ के फिगरा उपरोक्त के रवानाशुदा पुलिस लुणी कस्बे में पहुंचे जहां। जहां पर निजी वाहन व मोटरसाईकिले रोककर परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल के साथ श्री छैलाराम कानि. नं. 46 को डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर पुलिस थाना लुणी में आरोपी श्री शम्भु सिंह हैड कानि. को रिष्वत राषि लेन-देन के लिए रवाना कर हिदायत दी गई कि पुलिस थाने के नजदीक जाकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकार्डर चालु करके रवाना करें व श्री मनीश वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री भरत डुकिया कनिश्ठ सहायक, श्री भीमसिंह कानि., श्री भुरसिंह हैड कानि. को भी इनके पीछे पीछे पुलिस थाने की तरफ मोटर साईकिलों से रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस भी निजी वाहन व श्री चक्रवर्तीसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी निजी वाहन से अपनी उपस्थिति छिपा करे ब्यूरो जाब्ता श्री भंवरलाल हैड कानि., श्री स्वरूपचन्द हैड कानि., दोनो स्वतन्त्र गवाह के थाने से कुछ दूरी पर गोपनीय रूप से अपनी उपस्थिति छिपा कर परिवादी के ईषारे के इन्तजार में मुकीम रहे। वक्त 10.54 ए. एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] पर परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल का अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से फोन आया तथा बताया कि श्री शम्भु सिंह हैड कानि. थाने पर नहीं है। थाने पर पता किया तो छुट्टी पर जाना बताया। जिस पर मेरे द्वारा शम्भु सिंह हैड कानि. के मोबाईल पर बात की तो उन्होने बताया कि मुन्नाराम से मिल लो। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल को श्री मुन्नाराम को रिश्वती राशि देने हेतु कहा गया। वक्त 11.01 ए.एम. पर परिवादी श्री जसवंत मिन्डलद्वारा पूर्व से निर्धारित गोपनीय ईशारा अपनें मोबाईल फोन से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल किया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा भरत डूकिया कनिश्ठ सहायक को रिश्वती राशि लेन देन हो जानें की जानकारी देकर मौके पर पहुचनें के निर्देष देकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के भी थानें के सामनें पहुचे। पुलिस थानें के बाहर परिवादी उपस्थित मिला। जिससे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ किया गया। ब्यूरों के श्री भूरं सिंह हैड कानि. व श्री भीमं सिंह कानि. द्वारा परिवादी द्वारा बतायें गये एक शक्स को

थानें के गेट के सामनें पकड लिया गया। पास में ही खडें परिवादी जसवंत मिंडल नें मन् निरीक्षक पुलिस कों बताया कि यही श्री मुन्नाराम है, जिसनें मेरे से अभी अभी 5000 रूपयें प्राप्त कर गिन कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की जेब में रखे है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरों स्टॉफ व स्वतन्ा्त्र गवाहान के मय परिवादी श्री जसवंत मिन्डल के पुलिस थानें में प्रवेष हुए। पुलिस थानें में थानाधिकारी श्री हुकमं सिंह अपनें कक्ष में उपस्थित मिले। जिन्हें ब्यूरों कार्यवाही से अवगत कराया गया। थानाधिकारी सें आरोपी के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही हेतु स्थान उपलब्ध करानें हेतु निवेदन किया गया। जिस पर थानाधिकारी नें अपने कार्यालय कक्ष में ब्यूरो कार्यवाही हेतु सहमति दी। परिवादी श्री जसवंत मिन्डल ने रूबरू गवाहान व ब्यूरो स्टाफ के मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि यही श्री मुन्नाराम कानि. है, जिसनें मेरे से श्री शम्भु सिंह हैड कानि. के कहे अनुसार अभी अभी 5,000 रूपयें रिश्वती राशि प्राप्त कर गिन कर दाहिनें हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनेहुई खाकी रंग की पेन्ट की पीछे की जेब में रखे है।जिस पर मन निरीक्षक पुलिस नें श्री मुन्नाराम कानि. से रिश्वती राशि प्राप्त करनें का पूछा तों बताया कि मैनें तों श्री शम्भु सिंह ह के लिए 5000 रूपयें लिये है। मेरा इस राशि में कोई हिस्सा नही है। आप कहो तो मै श्री शम्भु सिंह हैड कानि. से उनके फोन पर बात कर सकता हूं। श्री मुन्नाराम कानि. द्वारा स्वेच्छया से अपनें मोबाईल फोन नम्बर [redacted] से श्री शम्भु सिंह हैड कानि. के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता श्री मुन्नाराम के फोन का स्पीकर ऑन करवाकर की गई। तों आरोपी श्री शम्भु सिंह हैड कानि. नें कहा कि आप देख लों, इसके बाद श्री मुन्नाराम कानि. नें कहा कि पांच हजार रूपयें दिये है। जिस पर उसनें कहा कि ठीक है। और फोन काट दिया। उक्त वार्ता की श्री छैलाराम कानि. से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाई गई। आईन्दा उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जावेगी। तत्पष्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री जसवंत मिन्डल व ब्यूरों जाब्ता के रूबरू सरकारी वाहन में से ट्रेप बाक्स मंगवाकर आरोपी श्री मुन्नाराम कानि. नम्बर 2884 पुलिस थाना लूणी पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के हाथ धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई । ट्रेप बॉक्स में से एकप्लास्टिक के गिलास निकाल कर उक्त प्लास्टिक के गिलासकों पुलिस थानें में रखे पानी के कैम्पर सें साफ पीने का पानी कों गिलास में भरवाया गया। उक्त प्लास्टिक गिलास में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर हिलाया गया तो प्लास्टिक गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री मुन्नाराम कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का मटमैला हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग हल्का मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स में से एक प्लास्टिक के गिलास निकाल कर उक्त प्लास्टिक के गिलासकों पुलिस थाने में रखे पानी के कैम्पर सें साफ पीने का पानी भरवाया गया। उक्त प्लास्टिक गिलास में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर हिलाया गया तो प्लास्टिक गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री मुन्नाराम कानि. के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस नें आरोपी से उसका पूरा परिचय पूछनें पर अपना नाम श्री मुन्नाराम पुत्र श्री जोराराम जाति रेगर उम्र 34 साल निवासी ग्राम मांजी तहसील डेगाना जिला नागौर हाल कानि. नम्बर 2884 पुलिस थाना लूणी पुलिस आयुक्तालय जोधपुरहोना बताया। जिस पर रूबरू स्वतन्त्र गवाहान व ब्यूरों जाब्ता के समक्ष आरोपी श्री मुन्नाराम की जामा तलाषी श्री नवनीत सिंह सें लिरवाई गई तो आरोपी के पहनी हुई खाकीं रंग की पेन्ट की पीछे की जेब में से 500-500 रूपयें के नोट मिले। जिन्हे स्वतन्त्र गवाह श्री नवनीत सिंह से गिनवाया गया तों 500-500 रूपयें के कुल 10 नोट कुल 5000 रूपयें मिले। जिसकों गवाह श्री फिरोज खॉं सें पूर्व में तैयार फर्द पेशकसी कों सुपर्द कर उक्त राशि का बोल बोल कर गवाह श्री नवनीत सिंह सें मिलान करवाया गया तों फर्द पेषकसी के अनुसार उक्त राशि का विवरण निम्न प्रकार है। 1. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 MK 463087 2. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 BN 825109 3. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 NM 257305 4. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 TL 988148 5. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 LK 903576 6. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 PV 653234 7. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 GE 259223 8. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 HT 270753 9. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 ER 281361 10. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 RH 328275 उक्त भारतीय मुद्रा 5,000/-को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात रिश्वती राशि बरामदगी स्थान आरोपी के पहनी हुई खाकी रंग की पेन्ट का धोवन लिया जाना आवष्यक होनें के कारण आरोपी के पहननें के लिए पुलिस थानें के बेरिक से पायजामेंकी व्यवस्था की जाकर आरोपी श्री मुन्नाराम कानि. के पहनी हुई खाकी रंग की पेन्ट कों उतरवाया जाकर पायजामा पहनवाया गया। उक्त खाकी रंग की पेन्ट की पीछे की जेब जहां से रिश्वती राशि बरामद हुई, का धोवन लेने हे्ठेतु दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री जसवंत मिन्डल एवं ब्यूरों जाब्ता के रूबरू एक प्लास्टिक गिलास में पुलिस थाना लूणी में रखे

कैम्पर से उक्त प्लास्टिक के गिलास को पानी से भरवाया गया। उक्त प्लास्टिक के गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालनें पर उक्त गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। आरोपी के पहनी हुई खाकी रंग की पेन्ट की पीछे की जेब को उल्टा करवाकर जेब का धोवन उक्त तैयार घोल के गिलास में डूबोकर लिया गया तों धोवन का रंग हल्कागुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल के रंग कों हल्कागुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित किया गया। उक्त खाकी रंग की पेन्ट जिसके पीछे की जेब से रिश्वती राशि बरामद हुई है, उक्त सम्बन्धित स्थान पर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर उक्त खाकी रंग की पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में डलवाकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर थैली को शील्ड मोहर कर मार्क पी अंकित किया गया। फर्द बरामदगी रिश्वती राशि ईत्यादि के मुख्य मुख्य अंषों की विडियोंग्राफी भी करवाई गई। आरोपी श्री मुन्नाराम कानि. नम्बर 2884 पुलिस थाना लूणी पुलिस आयुक्तालय जोधपुर की जामा तलाशी गवाह श्री नवनीत सिंह से लिरवाई गई तों पहनें हुए टीषर्ट की बांयी जेब में एक वीवोंकम्पनी का मोबाईल जिसके आईएमईआई नम्बर 1. 8646040721065982. 864604072106580 जिसमें एक एयरटेल कम्पनी की सिम नम्बर [redacted] होना पाई गई। उक्त मोबाईल फोन कार्यवाही में वांछित होनें के कारण कब्जा ब्यूरों लिया गया।इसके अतिरिक्त आरोपी श्री मुन्नाराम कानि. के पास कोई वस्तु, राशि व दस्तावेज कब्जा ब्यूरों नही लिया गया। ट्रेप कार्यवाही में मुख्य अभियुक्त श्री शम्भु सिंह हैड कानि. नम्बर 1576 अवकाष पर होनें के कारण उनके कहे अनुसार रिश्वती राशि श्री मुन्नाराम कानि. नम्बर 2884 द्वारा प्राप्त की गई। श्री मुन्नाराम को उक्त रिश्वती राशि की जानकारी थी। मांग सत्यापन के दौरान भी श्री मुन्नाराम कानि. आरोपी श्री शम्भु सिंह के पास ही उपस्थित था। रिश्वती राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही भी सह आरोपी श्री मुन्नाराम के सामनें ही हुई। श्री शम्भु सिंह की तलाष हेतु श्री मनीश वैशणव निरीक्षक पुलिस, श्री भूरं सिंह हैड कानि. नम्बर 91, श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक व श्री प्रेमसिह कानि. चालक को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर के निर्देशानुसार जोधपुर शहर रवाना किया गया। परिवादी श्री जसवंत मिन्डल के द्वारा दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 158/2024 व उसके विरूद्व दर्ज प्रकरण संख्या 163/2024 की प्रमाणित प्रति चाहनें हेतु थानाधिकारी लूणी को पत्र जारी किया गया। जिनके द्वारा प्रकरण संख्या 158/2024 व 163/2024 की प्रमाणित प्रति थानाधिकारी लूणी द्वारा प्रमाणित कर सुपर्द गई। जिससे शामिल रंनिग नोट किया गया। अब तक की कार्यवाही से श्री मुन्नाराम पुत्र श्री जोराराम जाति रेगर उम्र 34 साल निवासी मांझी पुलिस थाना डेगाना जिला नागौर हाल कानि. नम्बर 2884 पुलिस थाना लूणी, पुलिस आयुक्तालय जोधपुरएवं श्री शम्भु सिंह हैड कानि. नम्बर 1576 पुलिस थाना लूणी पुलिस आयुक्तालय जोधपुर का अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61 भारतीय न्याय संहिता 2023 का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई एवं दौराने कार्यवाही अन्य कोई दस्तावेज, वस्तु कब्जा ब्यूरो नहीं ली गई। आरोपी श्री मुन्नाराम पुत्र श्री जोराराम जाति रेगर उम्र 34 साल निवासी ग्राम मांझी पुलिस थाना डेगाना जिला नागौर हाल कानि. नम्बर 2884 पुलिस थाना लूणी पुलिस आयुक्तालय जोधपुर को गिरफ्तारी के कारणो से अवगत करवाया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जायेगी। वक्त 04.30 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा सह आरोपी श्री मुन्नाराम पुत्र श्री जोराराम उम्र 34 वर्श जाति रेगर निवासी रेगरों का मौहल्ला, ग्राम मांझी, तहसील डेगाना, जिला नागौर हाल कानिस्टेबल नं. 2884 पुलिस थाना लुणी, पुलिस आयुक्तलाय जोधपुर को किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारा 61 भारतीय न्याय संहिता 2023 से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उनके कहेनुसार पुलिस थाना लुणी आयुक्तालय जोधपुर में तैनात श्री राणाराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस को दी गई। वक्त 04.45 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल की निशादेही व रूबरू गवाहान श्री फिरोज खान एवं श्री नवनीतसिंह के घटना स्थल का नक्शा मौका मूर्तिब कर षामिल रनिंग नोट किया गया। वक्त 05.00 पी.एम. पर श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय श्री भूरं सिंह हैड कानि., श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक व श्री प्रेमं सिंह कानि. ड्राईवर को समय पी.एम. पर आरोपी श्री शम्भुं सिंह हैड कानि. नम्बर 1576 की तलाश व दस्तायाबी हेतु जोधपुर शहर रवाना किया गया था, जो बाद तलाश हाजिर आये और अवगत कराया कि आरोपी अपनें गांव से फरार है, फोन स्वीच ऑफ है तथा उसके जोधपुर शहर में संभावित ठिकानों पर तलाशी की गई। परन्तु आरोपी का कोई पता नही चल सका। वक्त 05.15 पी.एम. पर मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस, श्री चक्रवर्ती सिंह राठौड़ अतिरिक्त पुलिस, श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री फिरोज खान एवं श्री नवनीतसिंह परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल मय ब्यूरो जाब्ता श्री भंवरलाल हैड कानि. नं. 100, श्री स्वरूपचन्द हैड कानि. नं. 29, श्री भूरसिंह हैड कानि.नं. 91, श्री छैलाराम कानि. नं. 46, श्रीमती सीता सिंवर महिला कानि. नं. 172, श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक, श्री भीमं सिंह कानि. नम्बर 446 मय गिरफ्तार शुदा सह आरोपी श्री मुन्नाराम कानि. नं. 2884 मय दो निजी वाहन मय चालक श्री प्रेमसिंह कानि. 535 एवं तीन निजी मोटरसाईकिल के ब्यूरो के ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय को डिजीटल वॉयस रिकार्डर, परिवादी के प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित पत्रावली, प्रकरण संख्या 158/2024 व 163/2024 पुलिस थाना

लूणी की प्रमाणित षुदा प्रतियां मय बरामद शुदा रिश्वत राशि 5000/- रूपये सील चिट शुदा, प्रादर्श आर.एच. 1, आर. एच. 2, एल.एच.1, एल.एच. 2, पी.1, पी. 2, रिश्वत राशि बरामद स्थान सह आरोपी श्री मुन्नाराम कानि. के खाकी पेन्ट का कपडे की थैली में शील्ड प्रादर्श पी, सह आरोपी श्री मुन्नाराम कानि. का वीवो कम्पनी का मोबाईल फोन मय सिम सहित के पुलिस थाना लुणी, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर से एसीबी चौकी जोधपुर के लिए रवाना हुए। वक्त 06.00 पी.एम. पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहीयान के एसीबी चौकी जोधपुर पहुंची। प्रकरण से संबंधित प्रार्दष बरामद शुदा रिश्वत राशि 5000/- रूपये सील चिट शुदा, प्रादर्श आर.एच. 1, आर. एच. 2, एल.एच.1, एल. एच. 2, पी.1, पी. 2, रिश्वत राशि बरामद स्थान सह आरोपी श्री मुन्नाराम कानि. के खाकी पेन्ट का कपडे की थैली में शील्ड प्रादर्श पी, सह आरोपी श्री मुन्नाराम कानि. का वीवो कम्पनी का मोबाईल फोन मय सिम सहित को मालखाना प्रभारी श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर मे इन्द्राज करवाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया । तत्पश्चात कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 21.09.2024 को परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल के मोबाईल नं. [redacted] से आरोपी श्री शम्भु सिंह हैड कानि. के मोबाईल नं. [redacted] पर हुई वार्ता एवं दिनांक 21.09.2024 को ही परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल व आरोपी श्री शम्भु सिंह हैड कानि. व सह आरोपी श्री मुन्नाराम कानि. के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता रिकार्ड दिनांक 22.09.2024 को हुई रिश्वति राशि लेन देन वार्ता एवं बाद रिश्वत राशि लेन-देन रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में सहआरोपी श्री मुन्नाराम कानि. के मोबाईल नं. [redacted] से आरोपी श्री षम्भुसिंह हैड कानि. के मोबाईल नं.[redacted]पर हुई वार्ता रिकॉर्ड हैं के उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन निरीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा मे रखा। स्वतन्त्र गवाहान तथा परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल दिनांक 23.09.2024 को प्रातः 08.30 ए.एम. पर कार्यालय में आने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया। वक्त 06.40 पी. एम. पर सहआरोपी श्री मुन्नाराम कानि. का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने एंव बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना उदयमन्दिर की सुरक्षित हवालात में जमा कराने हेतु चिकित्सा प्रभारी, सैटेलाईट अस्पताल पावटा जोधपुर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना उदयमन्दिर के नाम पृथक-पृथक तहरीर लिखकर श्री मनीश वैशणव निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर श्री मनीश वैष्णव निरीक्षक पुलिस, ब्यूरो जाब्ता श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 मय सरकारी वाहन मय कानि. चालक श्री प्रेमसिंह नं. 535 के राजकीय सैटैलाईट अस्पताल पावटा के लिये आरोपी श्री मुन्नाराम हैड कानि. के रवाना किया। वक्त 07.00 पी.एम. पर श्री स्वरूपचन्द हैड कानि. नं. 29 को पुलिस थाना उदयमन्दिर पर आरेापी श्री मुन्नारम कानि. 2884 पुलिस थाना लुणी, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर की निगरानी हेतु श्री स्वरूपचन्द हैड कानि. नं. 29 को रवाना किया गया। वक्त 07.30 पी.एम. पर उपरोक्त फिकरा के रवाना षुदा श्री मनीश वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता श्री भुरसिंह हैड कानि. नं. 91 मय सरकारी वाहन मय कानि. चालक श्री प्रेमसिंह नं. 535 आरोपी श्री मुन्नाराम कानि. का बाद मेडीकल परीक्षण करवाकर एवं आरोपी को पुलिस थाना उदयमन्दिर में हवालात में जमा करवा कर हाजिर आये। पुलिस थाना उदयमन्दिर पर निगरानी हेतु श्री स्वरूपचन्द हैड कानि. को मामूर कर हाजिर आये। स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट व प्राप्ति रसीद मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द की जिसको बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 23.09.2024 वक्त 08.10 ए.एम. पर श्री भीमसिंह कानि. नं. 446 को पुलिस थाना उदयमन्दिर पर आरेापी श्री मुन्नाराम कानि. 2884 पुलिस थाना लुणी, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर की निगरानी हेतु पाबन्द कर रवाना कि आप पुलिस थाना पहुचं श्री स्वरूपचन्द हैड कानि. नं. 29 को कार्यालय हाजा के लिये रवाना करें। वक्त 08.35 ए.एम. पर श्री स्वरूपचन्द हैड कानि. नं. 29 आरोपी श्री मुन्नाराम कानि. 2884 पुलिस थाना लुणी, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर की निगरानी हेतु गये पुलिस थाना उदयमन्दिर से हाजिर आये। वक्त 09.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहन श्री फिरोज खान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय तहसीलदार जोधपुर शहर व श्री नवनीतसिंह कनिष्ठ सहायक कार्यालय तहसीलदार जोधपुर शहर एवं परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। वक्त 09.10 ए.एम. पर परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में दिनांक 21.09.2024 को परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल के मोबाईल नं. [redacted] से आरोपी श्री शम्भुसिंह हैड कानि. पुलिस थाना लुणी आयुक्तालय जोधपुर के मोबाईल नं. [redacted] पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन से पूर्व हुई वार्ता व दिनांक 21.09.2024 को परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल व आरोपी श्री शम्भुसिंह हैड कानि. पुलिस थाना लुणी आयुक्तालय जोधपुर व श्री मुन्नाराम कानि. पुलिस थाना लुणी आयुक्तालय जोधपुर के मध्य रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् निरीक्षक पुलिस ने सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालापों को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापों को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन से पूर्व हुई मोबाईल वार्ता व रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता तैयार की जाकर फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ताओं में एक आवाज परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल ने अपनी व दुसरी आवाज आरोपी श्री शम्भुसिंह हैड कानि. व तीसरी आवाज सह आरोपी श्री मुन्नाराम कानि. की होना बताया, तीनों आवाजों की पहचान परिवादी द्वारा की गई। उक्त वार्ताएं जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड

हैं को विभागीय कम्प्यूटर की मदद से चार सीडीयां तैयार की गई। फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन से पूर्व हुई मोबाईल वार्ता व रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता की अनुलिपि एवं सीडीयां तैयार करने के बाद एक सीडी को मूल मानकर सफेद कपड़े की थैली में डालकर थैली की सिलाई कर शिल्ड मोहर किया की गई। सफेद कपड़े की थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। शेष तीन डब सीडीयां को खुली हालत में ही रहने दिया गया। मूल शील्डशुदा एवं तीन डब सीडी खुली हालात में मालखाना प्रभारी श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। वक्त 10.25 ए.एम. पर परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में दिनांक 22.09.2024 को परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल के मोबाईल नं. [redacted] से आरोपी श्री शम्भुसिंह हैड कानि. पुलिस थाना लुणी आयुक्तालय जोधपुर के मोबाईल नं. [redacted] लेन-देन से पूर्व व परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल एवं श्री मुन्नाराम कानि. पुलिस थाना लुणी आयुक्तालय जोधपुर के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन रूबरू हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् निरीक्षक पुलिस ने सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालापों को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापों को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट रिश्वत राशि लेन-देन रूबरू वार्ता एवं मोबाईल पर हुई वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट तैयार की जाकर उक्त फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ताओं में एक आवाज परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल ने अपनी व दुसरी आवाज आरोपी श्री शम्भुसिंह हैड कानि. व तीसरी आवाज सह आरोपी श्री मुन्नाराम कानि. की होना बताया, तीनों आवाजों की पहचान परिवादी द्वारा की गई। उक्त वार्ताएं जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड हैं को विभागीय कम्प्यूटर की मदद से चार सीडीयां तैयार की गई। फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट रिश्वत राशि लेन-देन से पूर्व मोबाईल वार्ता एवं रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की अनुलिपि एवं सीडीयां तैयार करने के बाद एक सीडी को मूल मानकर सफेद कपड़े की थैली में डालकर थैली की सिलाई कर शिल्ड मोहर किया की गई। सफेद कपड़े की थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। शेष तीन डब सीडीयां को खुली हालत में ही रहने दिया गया। मूल शील्डशुदा एवं तीन डब सीडी खुली हालात में मालखाना प्रभारी श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। वक्त 11.30 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान बरामदगी रिश्वत राशि की मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन से विडियोग्राफी की गई थी। जिसकी कार्यालय के कम्प्युटर से श्री गणेशराम पंवार वरिष्ठ सहायक से डीवीडी तैयार करवाई जाकर मालखाना प्रभारी श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को जमा मालखाना की गई। वक्त 11.55 ए.एम. पर श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक, व प्रेमसिंह कानि. चालक को सह आरोपी श्री मुन्नाराम को पुलिस थाना उदयमन्दिर से लानें हेतु सरकारी वाहन सहित रवाना किया गया। वक्त 12.20 पी.एम. पर श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक, व प्रेमसिंह कानि. चालक व श्री भीमं सिंह कानि. नम्बर 446 सह आरोपी श्री मुन्नाराम को पुलिस थाना उदयमन्दिर से लेकर हाजिर आये। आरोपी नें अपनें आपकों खाना खाया हुआ व स्वस्थ होना बताया। वक्त 12.25 पी.एम. पर सह आरोपी श्री मुन्नाराम एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में दिनांक 22.09.2024 को ही बाद लेन-देन सहआरोपी श्री मुन्नाराम कानि, के मोबाईल नं. [redacted] से आरोपी श्री शम्भुसिंह हैड कानि. के मोबाईल नं. [redacted] पर मोबाईल पर स्पीकर ऑन करके करवाई वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् निरीक्षक पुलिस ने सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालापों को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं सह आरोपी श्री मुन्नाराम की उपस्थिति में मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापों को रुबरु मौतबिरान व सह आरोपी श्री मुन्नाराम के सुन-सुन कर फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट मोबाईल पर हुई वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट तैयार की जाकर उक्त फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में एक आवाज सहआरोपी श्री मुन्नाराम ने अपनी व दुसरी आवाज आरोपी श्री शम्भुसिंह हैड कानि. की होना बताया, दोनो आवाज की पहचान सहआरे०पी द्वारा की गई। उक्त वार्ताएं जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड हैं को विभागीय कम्प्यूटर की मदद से चार सीडीयां तैयार की गई। फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट मोबाईल पर हुई वार्ता की अनुलिपि एवं सीडीयां तैयार करने के बाद एक सीडी को मूल मानकर सफेद कपड़े की थैली में डालकर थैली की सिलाई कर शिल्ड मोहर किया की गई। सफेद कपड़े की थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। शेष तीन डब सीडीयां को खुली हालत में ही रहने दिया गया। मूल शील्डशुदा एवं तीन डब सीडी खुली हालात में मालखाना प्रभारी श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। वक्त 12.55 पी.एम. पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन व रिश्वत राशि लेन देन एवं मोबाईल पर हुई वार्ताए जो ब्यूरों के डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी। उक्त मूल मेमोरी कार्ड कों जरिये फर्द जब्ती बनाकर रूबरू गवाहान के सफेद कपडे की थैली में डालकर सिलाई कर कपडे की थैली को शील्ड मोहर किया गया। उक्त शील्ड मोहर शुदा मेमोरी कार्ड की थैली को श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को जमा मालखाना कराया गया। वक्त 01.15 पी.एम. पर परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल व दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री फिरोज खान व

श्री नवनीतसिंह को बाद कार्यवाही के रूखस्त किया गया। अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया कि परिवादी श्री जसवन्त मिन्डल की रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में में दिनांक 21.09.2024 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यालय के कानि. श्री छैलाराम को परिवादी के साथ पुलिस थाना लूणी भिजवाकर आरोपी श्री शम्भुसिंह हैड कानि. से करवाया गया। मांग सत्यापन के दौरान श्री शम्भुंिसह नें परिवादी से उसके द्वारा दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 158/2024 में मदद करनें की एवज में 5000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग की गई। जिस पर दिनांक 22.09.2024 को टे्प का आयोजन किया जाकर परिवादी को पुलिस थाना लूणी भिजवााय गया। पुलिस थाना लूणी पर श्री शम्भुं सिंह हैड कानि. छुटटी पर गया हुआ होने पर परिवादी द्वारा उसके मोबाईल पर बात करना, दौरानें बातचीत आरोपी श्री शम्भुसिंह द्वारा कानि. श्री मुन्नाराम को रिश्वत राशि 5000 रूपयें देनें का कहना, परिवादी से श्री मुन्नाराम द्वारा रिवश्त राशि प्राप्त कर गिन कर अपनी खाकी रंग की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखना, परिवादी के द्वारा ईशारा करनें पर रूबरू गवाहान के सह आरोपी श्री मुन्नाराम से रिश्वत राशि 5000 रूपयें बरामद होना, दोनों हाथों का धोवन हल्का मटमैला व मटमैला प्राप्त होना, रिश्वत राशि बरामदगी स्थान आरोपी के पहनी हुई खाकी पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब का धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त होना, परिवादी द्वारा दर्ज करवायें गये प्रकरण संख्या 158/2024 व उसके विरूद दर्ज प्रकरण संख्या 163/2024 की पत्रावली की प्रमाणित फोटो प्रति प्राप्त करना ईत्यादि के आधार पर सह आरोपी श्री मुन्नाराम कानि. पुलिस थाना लूणी पुलिस आयुक्तालय जोधपुर को गिरप्तार किया गया। मुख्य आरोपी श्री शम्भुसिंह हैड कानि. नम्बर 1576 पुलिस थाना लूणी पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के फरार हो जानें के कारण उसकी मौके पर गिरपतारी नही हो पाई। थानें के रिकॉर्ड के आधार पर उनकी आकस्मिक अवकाश पर रवानगी होना पाया गया। अतः आरोपी श्री शम्भुं सिंह पुत्र श्री विजय सिंह निवासी केतू कल्ला सेतरावा थाना शेरगढ जिला जोधपुर हाल हैड कानि. नम्बर 1576 पुलिस थाना लूणी पुलिस आयुक्तालय जोधपुर सह आरोपी श्री मुन्नाराम पुत्र श्री जोराराम जाति रेगर उम्र 34 साल निवासी रेगरों का मोहल्ला ग्राम मांझी तहसील डेगाना जिला नागौर हाल कानि. नम्बर 2884 पुलिस थाना लूणी पुलिस आयुक्तालय जोधपुर का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम-2018 एवं धारा 61 भारतीय न्याय संहिता 2023 का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। अतः इनके विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है। (सुनीता कुमारी) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर...........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती सुनीता कुमारी,पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61 भारतीय न्याय संहिता 2023 में आरोपीगण 1-श्री शम्भुं सिंह पुत्र श्री विजय सिंह निवासी केतू कल्ला सेतरावा थाना शेरगढ जिला जोधपुर हाल हैड कानि. नम्बर 1576 पुलिस थाना लूणी पुलिस आयुक्तालय जोधपुर एवं 2- श्री मुन्नाराम पुत्र श्री जोराराम जाति रेगर उम्र 34 साल निवासी रेगरों का मोहल्ला ग्राम मांझी तहसील डेगाना जिला नागौर हाल कानि. नम्बर 2884 पुलिस थाना लूणी पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्रीमती अनु चौधरी,पुलिस निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 351 पर अंकित है। (महावीर सिंह राणावत) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1139-42 दिनांक 23-09-2024 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है । 1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जोधपुर। 2-पुलिस उपायुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जोधपुर 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** annu chodhary **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Singh Ranawat
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: [illegible]/2024 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): MAHAVEER SINGH
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	07/06/1977				
2	Male	02/02/1991				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)